भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3579

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

आयकर अधिनियम, 2025 का कार्यान्वयन

3579. **श्री प्रवीन खंडेलवालः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरलीकृत नियमों और फार्मों की अधिसूचना तथा डिजिटल करदाता प्रणालियों के पुनर्गठन सहित 1 अप्रैल, 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 के सुचारू कार्यान्वयन हेतु तैयारियों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा करदाता जागरूकता और संक्रमण कासिक सहायता हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) छोटे करदाताओं के लिए शुरू की गई कम या शून्य कटौती प्रमाण पत्र सहित नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान निस्तारित किए गए फेसलेस आकलन एवं अपीलों का वर्ष-वार आंकड़ा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने चांदनी चौक जैसे वाणिज्यिक केंद्रों में छोटे व्यापारियों और पेशेवरों को सरलीकृत कानून तथा डिजिटल अनुपालन में परिवर्तन करने में मदद करने के लिए विशेष पहुँच और सुविधा उपाय किए हैं या करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर:
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) (i) आयकर अधिनियम, 2025 ("अधिनियम") ने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लिया है और यह अधिनियम दिनांक 01.04.2026 से लागू भी हो गया है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के सहज संचरण और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, आयकर नियमावली, 2026 ("नियमावली"), जिन्होंने आयकर नियम, 1962 का स्थान लिया है, को भी 20.03.2026 को अधिसूचित किया गया था और यह दिनांक 01.04.2026 से लागू भी हो गया है।

(ii) अनुपालन को सहज बनाने के लिए, आयकर नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है और आयकर प्रपत्रों की संख्या 399 से घटाकर 190 कर दी गई है।

(iii) इसके अलावा, करदाताओं के आयकर अधिनियम, 1961 से आयकर अधिनियम, 2025 में निर्बाध संचरण को सहज बनाने के लिए, विभाग ने "प्रारंभ 2026" (मिशन विकसित भारत के लिए नीति सुधार और जिम्मेदार कार्रवाई) शीर्षक से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता और 'आउटरीच' अभियान शुरू किया है।

(iv) डिजिटल करदाता अवसंरचना को चल रहे निम्नलिखित प्रयासों के माध्यम से उन्नत किया गया है:

क. 'प्रारंभ' पहल वर्ष 2026 के तहत मार्च 2026 में एक नई उपयोगकर्ता-अनुकूल आयकर वेबसाइट लॉन्च की गई है।

ख. चालू किए गए नए आयकर प्रपत्र, 2026 के लिए ई-फॉर्म सुविधा के विकास का कार्य प्रगति पर है।

(ख) "प्रारंभ 2026" के अंतर्गत करदाताओं की जागरूकता और संक्रमणकालीन सहायता हेतु किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) प्रत्यक्ष 'आउटरीच': देश भर में अंग्रेजी, हिंदी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में कुल 304 प्रत्यक्ष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में लगभग 50,000 करदाताओं और हितधारकों ने भाग लिया।

(ii) शैक्षिक एवं जागरूकता सामग्री: निदेशालय ने नए प्रपत्रों और प्रक्रियाओं पर 12 ब्रोशर सहित व्यापक बहुभाषी शैक्षिक सामग्री विकसित और वितरित की है, जिनमें अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं (हिंदी सहित) में मुद्रित ब्रोशर शामिल हैं। फील्ड इकाइयों और आयकर सेवा केंद्रों (एएसके) के माध्यम से ब्रोशर और अन्य प्रकाशनों की 1.75 लाख से अधिक प्रतियां वितरित की गईं हैं।

(iii) डिजिटल आउटरीच:

क्यूआर कोड युक्त ब्रोशर के माध्यम से प्रौद्योगिकी-आधारित सम्प्रेषण का उपयोग किया गया, जिससे डिजिटल व्याख्यात्मक सामग्री और संवाद वीडियो सत्रों तक पहुंच सुनिश्चित हुई है।

(iv) विभाग ने आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों को समझने में करदाताओं की सहायता के लिए एआई-आधारित चैटबॉट "कर साथी" भी चालू किया है।

(ग) आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 395(1) में शून्य या कम दरों पर स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। वित्त अधिनियम, 2026 के माध्यम से, छोटे-मोटे करदाताओं पर अनुपालन भार को कम करने के लिए, भुगतानकर्ता को आयकर की कम या शून्य कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने का विकल्प दिया गया है और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन, प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी या अस्वीकृत किया जा सकता है। इस संबंध में, कारगर नियम को वर्तमान में तैयार किया जा रहा है और इसे उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

अपीलों के निपटान से संबंधित आंकड़े: (आंकड़े लाख रु. में)

	वित्तीय वर्ष 2023-24	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
वर्ष के दौरान निपटाए गए अपीलों की संख्या	1.11	1.72	2.24

'फेसलेस असेसमेंट' से संबंधित आंकड़े: (आंकड़े लाख रु. में)

	वित्तीय वर्ष 2023-24	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
वर्ष के दौरान पूर्ण किए गए फेसलेस मूल्यांकनों की संख्या	2.73	1.65	2.13

(घ) जी हां। सरकार ने आयकर अधिनियम, 2025 और में संचरण डिजिटल अनुपालन में करदाताओं, जिनमें छोटे-मोटे व्यापारी और पेशेवर भी शामिल हैं, की सहायता के लिए विभिन्न संपर्क और सुविधा उपाय किए हैं इनमें राष्ट्रव्यापी 'प्रारंभ 2026' जागरूकता अभियान, बहुभाषी शैक्षिक सामग्री, जिसमें पुराने और नए अधिनियम के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए 'कर सेतु' पुस्तिका, आयकर सेवा केंद्रों (एएसके) के माध्यम से करदाताओं की सहायता, क्यूआर-सक्षम शैक्षिक सामग्री, संवाद वीडियो और एआई-सक्षम चैटबॉट 'कर साथी' शामिल हैं। इन पहलों में छोटे-मोटे व्यापारियों और पेशेवरों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

(ङ) आयकर विभाग ने राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान "प्रारंभ 2026" (मिशन विकसित भारत के लिए नीति सुधार और जिम्मेदार कार्रवाई) के तहत व्यापक प्रचार और करदाता सुविधा उपाय किए हैं। ये प्रचार और सुविधा उपाय देश भर में, वाणिज्यिक और व्यावसायिक केंद्रों सहित, लागू किए जा रहे हैं ताकि छोटे-मोटे व्यापारियों और पेशेवरों सहित सभी श्रेणियों के करदाताओं को सरलीकृत कानून और डिजिटल अनुपालन ढांचे में संचरण के लिए पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सके।
